मोनेटरी एंड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिव्यू

खण्ड XIX अंक 9 दिसंबर 2023

एमसीआईआर

विषयवस्तु

खंड	पृष्ठ
I. मौद्रिक नीति	1-2
II. विनियमन	3
III. भुगतान और निपटान प्रणाली	3
IV. फिनटेक	3
V. विदेशी मुद्रा प्रबंधन	4
VI. वित्तीय बाजार	4
VII. वित्तीय समावेशन	4
VIII. उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण	4
IX. प्रकाशन	4
X. जारी आंकड़े	4

संपादक की कलम से

मोनेटरी एवं क्रेडिट इंफर्मेशन रिव्यू (एमसीआईआर) के एक और संस्करण में आपका स्वागत है। रिज़र्व बैंक की यह मासिक आवधिक पत्रिका धन और ऋण की दुनिया में रिज़र्व बैंक द्वारा दिसंबर 2023 माह के दौरान किए गए नए विकास और महत्वपूर्ण नीतिगत पहलुओं के साथ जुड़े रहने में आपकी मदद करती है। एमसीआईआर को https://mcir.rbi.org.in पर और साथ ही क्यूआर कोड को स्कैन करके देखा जा सकता है।

संवाद के इस माध्यम से सूचनाएं साझा करने, शिक्षित करने और आप सबसे जुड़े रहने के साथ हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना भी है कि प्रसारित की जा रही सूचनाओं में तथ्यात्मक सटीकता एवं संगति रहे।

हम आपकी प्रतिक्रिया का mcir@rbi.org.in पर स्वागत करते हैं।

योगेश दयाल
संपादक

I. मौद्रिक नीति

8 दिसंबर 2023 को गवर्नर का मौद्रिक नीति वक्तव्य

गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास ने 8 दिसंबर 2023 को मौद्रिक नीति वक्तव्य दिया। गवर्नर ने 2020 से 2023 तक की अवधि को महत्वपूर्ण वैश्विक अस्थिरता के रूप में चिह्नित करते हुए कहा कि यह समय-सीमा विभिन्न अप्रत्याशित घटनाओं से लैश है। उन्होंने कहा कि जहां वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी के संकेत दिख रहे हैं, वहीं उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाएं (ईएमई) यथावत् बनी हुई हैं। मूल मुद्रास्फीति स्थिर बनी हुई है, जिससे अवस्फीति के अंतिम चरण में बाधा उत्पन्न हो रही है। प्रमुख केंद्रीय बैंक अनिश्चितताओं के बीच ब्याज दरें बनाए रख रहे थे। वैश्विक चुनौतियों के बावजूद, भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत जीडीपी संवृद्धि, बैंकों और कॉरपोरेट्स के लिए स्वस्थ तुलन-पत्र, राजकोषीय समेकन, प्रबंधनीय बाहरी शेष-राशि और पर्याप्त विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि के साथ बनी हुई है।

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के निर्णय और विचार-विमर्श

एमपीसी ने संवृद्धि का समर्थन करते हुए लक्ष्य के साथ मुद्रास्फीति को संरेखित करने के लिए निभाव को वापस लेने पर ध्यान केंद्रित करते हुए नीतिगत रेपो दर को 6.50 प्रतिशत पर यथावत् रखने का निर्णय लिया। इस तर्क में मूल मुद्रास्फीति में कमी, मजबूत आर्थिक गतिविधि और सक्रिय अवस्फीतिकारी उपायों की आवश्यकता शामिल है।

संवृद्धि और मुद्रास्फीति का आकलन

i) वैश्विक संवृद्धि

वैश्विक अर्थव्यवस्था लगातार सौम्य बनी हुई है। संरक्षणवाद के वैश्विक ज्वार के बीच विश्व व्यापार में गिरावट आ रही है। वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं की महत्वपूर्ण बहाली के बावजूद, उच्च ऋण स्तर, दीर्घकालिक भू-राजनीतिक संघर्ष और मौसम की चरम स्थिति जैसे कारक वैश्विक संवृद्धि और मुद्रास्फीति संभावना के लिए जोखिम को बढ़ाते हैं।

ii) घरेलू संवृद्धि

मजबूत घरेलू मांग के कारण दूसरी तिमाही में आर्थिक गतिविधियों में उछाल देखा गया। इस तिमाही में जीडीपी में 7.6 प्रतिशत की जोरदार वृद्धि दर्ज की गई। तीसरी तिमाही के दौरान कुछ राज्यों में ख़रीफ़ फसलों की देर से कटाई के बावजूद रबी की दो-तिहाई बुआई पूरी हो चुकी है। इनपुट लागत का दबाव कम होने और मांग की स्थिति में सुधार से विनिर्माण क्षेत्र को मजबूती मिली। आठ प्रमुख उद्योगों ने अक्तूबर में अच्छी वृद्धि दर्ज की और इस वर्ष जून से अपनी उच्च वृद्धि जारी रखी। विनिर्माण के लिए क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) में नवंबर में बढ़ोतरी हुई।

मुद्रास्फीति

अक्तूबर में सकल मुद्रास्फीति घटकर 4.9 प्रतिशत पर आ गई, लेकिन खाद्य कीमतों में अनिश्चितता जोखिम उत्पन्न करती है। 2023-24 के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति 5.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

मौद्रिक नीति संभावना

गवर्नर ने अवस्फीति में प्रगति के साथ संवृद्धि की तुलना में मुद्रास्फीति को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि संवृद्धि संबंधी आघात-सहनीयता के बावजूद, 4 प्रतिशत सीपीआई का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका। उन्होंने खाद्य मुद्रास्फीति के प्रक्षेप पथ की बारीकी से निगरानी करने के महत्व पर भी टिप्पणी की।

चलनिधि और वित्तीय बाज़ार की स्थितियाँ

बैंक के तुलन-पत्र के बारे में बताते हुए, गवर्नर ने कहा कि बैंक ने इसके आकार को 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद के 28.6 प्रतिशत से घटाकर वर्तमान वित्तीय वर्ष (दिसंबर 2023 तक) में 21.6 प्रतिशत करने में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है। बैंक की चलनिधि की स्थिति में समग्र सख्ती के बारे में उन्होंने कहा कि इसका मुख्य कारण त्योहारी सीजन के दौरान उच्च मुद्रा रिसाव, सरकारी नकदी शेष और बैंक का बाजार परिचालन है। उन्होंने भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआईएल) से संबंधित जानकारी के आदान-प्रदान और सहयोग पर बैंक और बैंक ऑफ इंग्लैंड के बीच हस्ताक्षरित सहमति ज्ञापन के महत्व के बारे में भी उल्लेख किया।

वित्तीय स्थिरता

गवर्नर ने उल्लेख किया कि बैंक, किसी भी प्रकार के संभावित जोखिम के लिए अग्र-सक्रिय उपायों के साथ हमेशा सतर्क रहता है और वित्तीय क्षेत्र के आघात-सहनीयता को बनाए रखता है।

बाह्य क्षेत्र

गवर्नर ने कहा कि वस्तु निर्यात और आयात, आघात-सहनीय सेवाओं के निर्यात और निवल एफपीआई अंतर्वाह में सकारात्मक रुझान देखा गया। उन्होंने कहा, भारत के बाहरी भेद्यता संकेतक 604 बिलियन अमेरिकी डॉलर के विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि के साथ उच्च आघात-सहनीयता प्रदर्शित करते हैं।

इसके अलावा, गवर्नर ने अपने वक्तव्य पर विचार-विमर्श के दौरान कुछ अतिरिक्त उपायों की घोषणा की। उन्होंने अस्थिर वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रत्येक कार्रवाई पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि स्थिरता के लिए मौद्रिक नीति कार्यों और संचार में स्पष्टता और निरंतरता महत्वपूर्ण है। भारत अनिश्चितताओं से निपटने के लिए अच्छी स्थिति में है, और समग्र समष्टि-आर्थिक और वित्तीय स्थिरता के लिए सतर्कता आवश्यक है। नीति वक्तव्य को समाप्त करते हुए, गवर्नर ने महात्मा गांधी के उद्धरण को याद किया कि 'जब भी ... एक अटल दृढ़ संकल्प होता है तो प्रगति निश्चित रूप से सुनिश्चित होती है।' पूरा वक्तव्य पढ़ने के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

एमपीसी का संकल्प

वर्तमान और उभरती समष्टि-आर्थिक परिस्थिति का आकलन करने के आधार पर, मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने आज (8 दिसंबर 2023) अपनी बैठक में यह निर्णय लिया है कि चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 6.50 प्रतिशत पर यथावत् रखा जाए।

स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) दर 6.25 प्रतिशत तथा सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर 6.75 प्रतिशत पर यथावत् बनी हुई है।

एमपीसी ने निभाव को वापस लेने पर ध्यान केंद्रित रखने का भी निर्णय लिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मुद्रास्फीति उतरोत्तर संवृद्धि को समर्थन प्रदान करते हुए लक्ष्य के साथ संरेखित हो। ये निर्णय, संवृद्धि को समर्थन प्रदान करते हुए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति को +/- 2 प्रतिशत के दायरे में रखते हुए 4 प्रतिशत का मध्यावधि लक्ष्य प्राप्त करने के अनुरूप है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य

यह वक्तव्य (i) वित्तीय बाज़ार (ii) विनियमन (iii) भुगतान प्रणाली और फिनटेक से संबंधित विभिन्न विकासात्मक और विनियामक नीतिगत उपाय निर्धारित करता है।

i) वित्तीय बाज़ार

1. विदेशी मुद्रा जोखिमों से हेजिंग के लिए विनियामक ढांचे की समीक्षा

विदेशी मुद्रा जोखिमों की हेजिंग को नियंत्रित करने वाले विनियामक ढांचे की सिद्धांत-आधारित व्यवस्था में प्रवेश करने की दृष्टि से वर्ष 2020 में व्यापक समीक्षा की गई थी। बाज़ार सहभागियों से प्राप्त फीडबैक और तब से प्राप्त अनुभव के आधार पर, सभी प्रकार के लेनदेन - ओवर- दि -काउंटर (ओटीसी) और एक्सचेंज ट्रेडेड – संबंधी निदेशों को एक मास्टर निदेश के अंतर्गत समेकित करके विनियामक ढांचे को और अधिक व्यापक बनाया गया है। परिचालन दक्षता बढ़ाने और विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव तक पहुंच को आसान बनाने के लिए ढांचे को भी संशोधित किया गया है, विशेषकर छोटे एक्स्पोज़र वाले उपयोगकर्ताओं के लिए। इससे यह भी सुनिश्चित होगा कि आवश्यक जोखिम प्रबंधन विशेषज्ञता वाले ग्राहकों के एक व्यापक समूह को अपने जोखिम को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने की सुविधा दी जाए।

ii) विनियमन

2. संबद्ध (कनेक्टेड) उधार के लिए रूपरेखा

संबद्ध उधार या ऐसे व्यक्तियों को उधार जो ऋणदाता के निर्णय को नियंत्रित करने या प्रभावित करने की स्थिति में हैं, यदि ऋणदाता ऐसे उधारकर्ताओं के साथ एक दूरी का संबंध बनाए नहीं रखता है तो यह चिंता का विषय हो सकता है। इस तरह के उधार में नैतिक खतरे के मुद्दे शामिल हो सकते हैं जिससे मूल्य निर्धारण और ऋण प्रबंधन में समझौता हो सकता है। इस मुद्दे पर मौजूदा दिशानिर्देशों का दायरा सीमित है और ये सभी विनियमित संस्थाओं पर समान रूप से लागू नहीं होते हैं। तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक की सभी विनियमित संस्थाओं के लिए संबद्ध ऋण पर एक एकीकृत विनियामक ढांचा लाने का निर्णय लिया गया है।

3. ऋण उत्पादों के वेब-एकत्रीकरण के लिए विनियामक ढांचा

भारतीय रिज़र्व बैंक ने डिजिटल ऋण पर कार्य समूह (अध्यक्ष: श्री जयंत कुमार दाश) की ऋण उत्पादों के वेब- एकत्रीकरण के लिए एक विनियामक ढांचा (डब्ल्यूएएलपी) लाए जाने की सिफारिश को स्वीकार कर लिया। डब्ल्यूएएलपी में एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफ़ॉर्म पर कई ऋणदाताओं से ऋण प्रस्तावों का एकत्रीकरण शामिल है जो उधारकर्ताओं को उपलब्ध ऋणदाताओं में से किसी एक से ऋण प्राप्त करने हेतु सर्वोत्तम उपलब्ध विकल्प की तुलना करने और चुनने में सक्षम बनाता है।

कार्य समूह की सिफारिश के आधार पर, ऋण सेवा प्रदाताओं (एलएसपी) द्वारा दी जाने वाली ऐसी ऋण एकत्रीकरण सेवाओं को एक व्यापक विनियामक ढांचे के अंतर्गत लाने का निर्णय लिया गया है। यह ढांचा डब्ल्यूएएलपी के परिचालन में पारदर्शिता बढ़ाने, ग्राहक केंद्रितता बढ़ाने और उधारकर्ताओं को सूचित विकल्प चुनने में सक्षम बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगा।

iii) भुगतान प्रणाली और फिनटेक

4. निर्दिष्ट श्रेणियों के लिए यूपीआई लेनदेन सीमा बढ़ाना

चिकित्सा और शैक्षिक सेवाओं के लिए यूपीआई के उपयोग को प्रोत्साहित करने हेतु, अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों को भुगतान की सीमा ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख प्रति लेनदेन करने का प्रस्ताव है। इससे पहले, दिसंबर 2021 में, रिटेल डायरेक्ट योजना और आईपीओ सब्सक्रिप्शन हेतु यूपीआई भुगतान के लिए लेनदेन सीमा को बढ़ाकर ₹5 लाख कर दिया गया था।

5. आवर्ती ऑनलाइन लेनदेन के लिए ई-अधिदेश - निर्दिष्ट श्रेणियों के लिए सीमा में वृद्धि

निम्नलिखित श्रेणियों, अर्थात् म्यूचुअल फंड सब्सक्रिप्शन, बीमा प्रीमियम का भुगतान और क्रेडिट कार्ड बिलों के भुगतान के लिए ₹1 लाख तक के लेनदेन के लिए प्रमाणीकरण का अतिरिक्त कारक (एएफए) की आवश्यकता से छूट देने का प्रस्ताव है।

6. भारत में वित्तीय क्षेत्र के लिए क्लाउड सुविधा की स्थापना

भारतीय रिज़र्व बैंक भारत में वित्तीय क्षेत्र के लिए क्लाउड सुविधा स्थापित करने पर कार्य कर रहा है। प्रस्तावित सुविधा वित्तीय क्षेत्र के डेटा की सुरक्षा, अखंडता और गोपनीयता को बढ़ाएगी। इससे मापनीयता (स्केलेबिलिटी) और व्यवसाय निरंतरता की सुविधा प्राप्त होने की भी आशा है। क्लाउड सुविधा की स्थापना और शुरुआत में संचालन भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी और संबद्ध सेवाएं (आईएफटीएएस) द्वारा किया जाएगा।

7. फिनटेक रिपॉजिटरी की स्थापना

फिनटेक पारिस्थितिकी तंत्र की गतिविधियों की बेहतर समझ के लिए, फिनटेक के बारे में उनकी गतिविधियों, उत्पादों, प्रौद्योगिकी स्टैक, वित्तीय जानकारी आदि को शामिल करने वाली आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए एक रिपोजिटरी स्थापित करने का प्रस्ताव है। फिनटेक को स्वेच्छा से रिपॉजिटरी को प्रासंगिक जानकारी प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा जो उचित नीति दृष्टिकोण डिजाइन करने में सहायता करेगा। रिपॉजिटरी की स्थापना रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब द्वारा अप्रैल 2024 या उससे पहले की जाएगी। वेबसाइट में देखने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

एमपीसी का कार्यवृत्त

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45ज़ेडबी के अंतर्गत गठित मौद्रिक नीति समिति की 46वीं बैठक 6 से 8 दिसंबर 2023 के दौरान आयोजित की गई थी।

तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45 ज़ेडएल के अंतर्गत, रिज़र्व बैंक ने 22 दिसंबर 2023 को, अर्थात् मौद्रिक नीति समिति की बैठक के 14वें दिन, बैठक की कार्यवाही के कार्यवृत्त प्रकाशित किए।

एमपीसी ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपभोक्ता विश्वास, परिवारों की मुद्रास्फीति प्रत्याशा, कॉर्पोरेट क्षेत्र के निष्पादन, ऋण की स्थिति, औद्योगिक, सेवाओं और आधारभूत संरचना क्षेत्रों की संभावनाएं और पेशेवर पूर्वानुमानकर्ताओं के अनुमानों का आकलन करने के लिए किए गए सर्वेक्षणों की समीक्षा की। एमपीसी ने इन संभावनाओं के विभिन्न जोखिमों के इर्द-गिर्द स्टाफ के समष्टि आर्थिक अनुमानों और वैकल्पिक परिदृश्यों की विस्तृत रूप से भी समीक्षा की। उपर्युक्त पर और मौद्रिक नीति के रुख पर व्यापक चर्चा करने के बाद एमपीसी ने संकल्प अपनाया। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

II. विनियमन

कर्ज माफी संबंधी विज्ञापन

रिज़र्व बैंक ने 11 दिसंबर 2023 को जनता को सचेत किया कि वे प्रिंट के साथ-साथ सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर कुछ संस्थाओं द्वारा प्रचारित झूठे और भ्रामक अभियानों, जो ऋण माफी की पेशकश करके उधारकर्ताओं को लुभा रहे हैं, का शिकार न हों। बैंक ने जनता को ऐसी घटनाओं की रिपोर्ट कानून प्रवर्तन एजेंसियों को देने हेतु भी कहा। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

एआईएफ में निवेश

रिज़र्व बैंक ने 19 दिसंबर 2023 को वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) के उपयोग के माध्यम से सदाबहार ऋण देने वाले ऋणदाताओं पर रोक लगाई। बैंक ने कहा, कि

i) विनियमित संस्थाएं (आरई) एआईएफ, जिसमें आरई की कर्जदार कंपनी में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से डाउनस्ट्रीम निवेश हो, की किसी भी योजना में निवेश नहीं करेंगी।

ii) यदि कोई एआईएफ योजना, जिसमें आरई पहले से ही एक निवेशक है, ऐसी किसी कर्जदार कंपनी में डाउनस्ट्रीम निवेश करती है, तो आरई को एआईएफ द्वारा ऐसे डाउनस्ट्रीम निवेश की तारीख से 30 दिनों के भीतर योजना में अपना निवेश समाप्त करना होगा। यदि आज की तारीख तक आरई ने पहले से ही अपनी कर्जदार कंपनियों में डाउनस्ट्रीम निवेश वाली ऐसी योजनाओं में निवेश किया है, तो परिसमापन के लिए 30 दिन की अवधि को इस परिपत्र के जारी होने की तारीख से गिना जाएगा।

iii) यदि आरई उपरोक्त निर्धारित समय- सीमा के भीतर अपने निवेश को समाप्त करने में सक्षम नहीं हैं, तो उन्हें ऐसे निवेश पर 100 प्रतिशत प्रावधान करना होगा। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

एसआरओ को मान्यता देने हेतु ढांचा

रिज़र्व बैंक ने 21 दिसंबर 2023 को 'विनियमित संस्थाओं के लिए 'स्व-विनियामक संगठनों (एसआरओ) को मान्यता देने हेतु बहुप्रयोजनीय ढांचे का मसौदा' जारी किया। इसमें किसी भी एसआरओ पर लागू होने वाले व्यापक मापदंड, यथा उद्देश्य, जिम्मेदारियां, पात्रता मानदंड, सुशासन मानक, आवेदन प्रक्रिया और एसआरओ को मान्यता प्रदान करने के लिए अन्य बुनियादी शर्तें शामिल हैं। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

एमएचपी छूट

रिज़र्व बैंक ने 28 दिसंबर 2023 को 'फैक्टरिंग कारोबार' के हिस्से के रूप में अर्जित प्राप्तियों के द्वितीयक बाज़ार परिचालन को विकसित करने हेतु निर्णय लिया कि पात्र अंतरणकर्ताओं द्वारा ऐसी प्राप्तियों के अंतरण को न्यूनतम होल्डिंग अवधि (एमएचपी) की आवश्यकता से छूट दी जाएगी, जो निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अधीन होगी:

i) अंतरण के समय ऐसी प्राप्तियों की शेष परिपक्वता 90 दिनों से अधिक नहीं होनी चाहिए, और

ii) जैसा कि ऋण एक्सपोज़र के अंतरण संबंधी मास्टर निदेशों के खंड 10 और 35 के अंतर्गत निर्दिष्ट किया गया है, अंतरिती ऐसी प्राप्य राशि अर्जित करने से पहले, बिल के अदाकर्ता का समुचित ऋण मूल्यांकन करेगा। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

डी-एसआईबी

रिज़र्व बैंक ने 28 दिसंबर 2023 को प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों (डी-एसआईबी) की 2023 सूची जारी की। एसबीआई, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों (डी-एसआईबी) के रूप में जारी रहे। जबकि आईसीआईसीआई बैंक पिछले वर्ष की तरह ही बकेटिंग संरचना में बना हुआ है, एसबीआई और एचडीएफसी बैंक उच्च बकेट में चले गए हैं - एसबीआई बकेट 3 से बकेट 4 में स्थानांतरित हो गया है और एचडीएफसी बैंक बकेट 1 से बकेट 2 में स्थानांतरित हो गया है। एसबीआई और एचडीएफसी बैंक के लिए, बकेट वृद्धि के कारण उच्च डी-एसआईबी बफर आवश्यकताएं 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होंगी। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

ऋण खातों में दंडात्मक प्रभार

रिज़र्व बैंक ने 29 दिसंबर 2023 को ऋण खातों में दंडात्मक प्रभार पर निर्देशों के कार्यान्वयन की समय-सीमा तीन महीने बढ़ा दी। तदनुसार, आरई यह सुनिश्चित करें कि 1 अप्रैल 2024 के बाद से दिए गए सभी नए ऋणों के संबंध में निर्देश लागू किए जाएं। मौजूदा ऋणों के मामले में, नई दंडात्मक प्रभार व्यवस्था पर स्विचओवर 1 अप्रैल 2024 को या उसके बाद पड़ने वाली अगली समीक्षा/ नवीकरण तिथि पर, लेकिन 30 जून 2024 के बाद नहीं, सुनिश्चित किया जाए। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

राष्ट्रीय विकास बैंकों की समीक्षा

रिज़र्व बैंक ने 29 दिसंबर 2023 को समीक्षा की, कि निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफआर) की गणना के लिए नाबार्ड, एनएचबी और सिडबी के अलावा एक्जिम बैंक और नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट (एनएबीएफआईडी) को भी राष्ट्रीय विकास बैंक (एनडीबी) माना जाएगा। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

III. भुगतान और निपटान प्रणाली

रिज़र्व बैंक और बीओई के बीच एमओयू

रिज़र्व बैंक ने 1 दिसंबर 2023 को भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआईएल) के संबंध में सहयोग और सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए बैंक ऑफ इंग्लैंड के साथ एक सहमति ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। यह एमओयू, यूके की वित्तीय स्थिरता की सुरक्षा करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक की विनियामक और पर्यवेक्षी गतिविधियों पर भरोसा रखने हेतु बीओई के लिए एक ढांचा स्थापित करता है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

आवर्ती लेनदेन के लिए ई-अधिदेश

रिज़र्व बैंक ने 12 दिसंबर 2023 को कार्ड, प्रीपेड भुगतान लिखत और एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस पर ई-अधिदेश/ स्थायी निर्देशों को प्रसंस्कृत करते समय आवर्ती लेनदेन की सीमा को निम्नलिखित श्रेणियों, अर्थात i) म्यूचुअल फंड का अभिदान, ii) बीमा प्रीमियम का भुगतान और iii) क्रेडिट कार्ड बिल भुगतान के लिए ₹15,000/- से बढ़ाकर ₹1,00,000/- प्रति लेनदेन कर दिया। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

कार्ड-ऑन-फाइल टोकनाइजेशन

रिज़र्व बैंक ने 20 दिसंबर 2023 को कार्ड जारी करने वाले बैंकों/संस्थाओं के माध्यम से सीधे कार्ड-ऑन-फाइल टोकनाइजेशन (सीओएफटी) को सक्षम किया। यह कार्डधारकों को एक ही प्रक्रिया के माध्यम से कई व्यापारी साइटों के लिए अपने कार्ड का टोकनाइजेशन करने का अतिरिक्त विकल्प प्रदान करेगा। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

पीआईडीएफ़

रिज़र्व बैंक ने 29 दिसंबर 2023 को भुगतान अवसंरचना विकास निधि (पीआईडीएफ़) योजना को दो वर्ष, अर्थात 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ा दिया। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

IV. फिनटेक

विनियामक सैंडबॉक्स

रिज़र्व बैंक ने 11 दिसंबर 2023 को विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) के विषय 'खुदरा भुगतान' के लिए 'ऑन टैप' एप्लिकेशन सुविधा के अंतर्गत क्रेंचफिश एबी के साथ साझेदारी में एचडीएफसी बैंक द्वारा विकसित खुदरा भुगतान उत्पाद को आरई द्वारा अपनाये जाने हेतु मंजूरी दी। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

केंद्रीय बोर्ड की 605वीं बैठक

रिज़र्व बैंक ने 18 दिसंबर 2023 को केंद्रीय निदेशक बोर्ड की 605वीं बैठक एकता नगर, केवड़िया में श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर की अध्यक्षता में आयोजित की।

बोर्ड ने वैश्विक भू-राजनीतिक गतिविधियों से उत्पन्न चुनौतियों सहित घरेलू और वैश्विक दोनों आर्थिक और वित्तीय परिदृश्य की समीक्षा की। बोर्ड ने चुनिंदा केंद्रीय कार्यालय विभागों की गतिविधियों और भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति, 2022-23 संबंधी मसौदा रिपोर्ट पर भी चर्चा की।

V. विदेशी मुद्रा प्रबंध

एक्सबीआरएल प्रणाली को बंद करना

रिज़र्व बैंक ने 22 दिसंबर 2023 को निर्णय लिया कि 26 दिसंबर 2023 से, एक्सबीआरएल साइट के माध्यम से विवरणियाँ/ विवरण प्रस्तुत करना बंद कर दिया जाएगा और इसे केंद्रीकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली (सीआईएमएस) में अंतरित कर दिया जाएगा, जो बैंक का नया डेटा वेयरहाउस है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

लाइसेंस प्रदान करने संबंधी रूपरेखा का युक्तिकरण

रिज़र्व बैंक ने 26 दिसंबर 2023 को अधिकृत व्यक्तियों (एपी) के लिए लाइसेंसिंग ढांचे को युक्तिसंगत और सरल बनाया। इसका उद्देश्य तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था की उभरती आवश्यकताओं को पूरा करना, उचित जांच और संतुलन बनाए रखते हुए आम व्यक्तियों, पर्यटकों और व्यवसायों को विदेशी मुद्रा सुविधाएं प्रदान करने में परिचालन दक्षता प्राप्त करना है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

VI. वित्तीय बाज़ार

एसडीएफ और एमएसएफ का प्रत्यावर्तन

रिज़र्व बैंक ने 27 दिसंबर 2023 को 30 दिसंबर 2023 से समाहांत और छुट्टियों के दौरान स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दोनों के अंतर्गत चलनिधि सुविधाओं के **प्रत्यावर्तन** की अनुमति दी। स्वचालित स्वीप-इन और स्वीप-आउट (एएसआईएसओ) सुविधा के अंतर्गत उत्प्रेरित एसडीएफ/ एमएसएफ बोलियां अब अगले कैलेंडर दिन पर प्रत्यावर्तित होंगी। ई-कुबेर पोर्टल के माध्यम से लगाई गई अयांत्रिक बोली के मामले में, बोली लगाने के समय पात्र संस्थाओं द्वारा परिपक्वता-काल के संबंध में विकल्प का प्रयोग किया जा सकेगा। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

VII. वित्तीय समावेशन

एमएसएमई का वर्गीकरण

रिज़र्व बैंक ने 28 दिसंबर 2023 को 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) क्षेत्र को ऋण' पर मास्टर निदेशों में संशोधन किया। संशोधन के अनुसार निदेश के मौजूदा पैरा 2.2 को निम्नानुसार संशोधित किया गया, 'उपरोक्त सभी उद्यमों को उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करना और 'उद्यम पंजीकरण प्रमाणपत्र' प्राप्त करना आवश्यक है'। पीएसएल उद्देश्यों के लिए बैंक, उद्यम पंजीकरण प्रमाणपत्र (यूआरसी) में दर्ज वर्गीकरण द्वारा निर्देशित होंगे। तथापि, निदेश के पैरा 2.4 से 2.7 को हटा दिया गया। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

VIII. उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण

आंतरिक लोकपाल

रिज़र्व बैंक ने 29 दिसंबर 2023 को आंतरिक लोकपाल तंत्र पर विभिन्न विनियमित संस्थाओं पर लागू निर्देशों को सुसंगत बनाने के लिए आरई के लिए आंतरिक लोकपाल पर एक मास्टर निदेश जारी किया। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

IX. प्रकाशन

भारत में बैंकिंग की प्रवृति और प्रगति

रिज़र्व बैंक ने 27 दिसंबर 2023 को भारत में बैंकिंग की प्रवृति और प्रगति 2022-23 पर रिपोर्ट जारी की, जो बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36 (2) के अनुपालन में एक सांविधिक प्रकाशन है। यह रिपोर्ट 2022-23 और 2023-24 के दौरान अब तक वैश्विक बैंकिंग गतिविधियां, नीतिगत माहौल, बैंकिंग क्षेत्र का परिचालन और कार्य-निष्पादन, सहकारी बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों की गतिविधियां प्रस्तुत करती है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट

रिज़र्व बैंक ने 28 दिसंबर 2023 को वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (एफ़एसआर) का 28वां अंक जारी किया, जो वित्तीय स्थिरता के जोखिमों और भारतीय वित्तीय प्रणाली की आघात सहनीयता पर वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) की उप-समिति के सामूहिक मूल्यांकन को दर्शाता है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

आरबीआई बुलेटिन

रिज़र्व बैंक ने 20 दिसंबर 2023 को अपने मासिक बुलेटिन का दिसंबर 2023 अंक जारी किया। बुलेटिन में 8 दिसंबर 2023 का मौद्रिक नीति वक्तव्य, दो भाषण, सात लेख और वर्तमान आँकड़े शामिल हैं। सात लेख हैं:

i) अर्थव्यवस्था की स्थिति;
ii) सरकारी वित्त 2023-24: एक अर्धवार्षिक समीक्षा;
iii) भारत में 'कम' स्टैगफ्लेशन जोखिम;
iv) तेल मूल्य प्रक्षेपवक्र का आकलन: सूचना के वैकल्पिक स्रोतों का मूल्यांकन;
v) सरकारी उधार और सरकारी प्रतिभूति प्रतिफल - एक विश्लेषणात्मक जांच;
vi) भारत में हालिया मुद्रास्फीति की गतिशीलता: मांग की तुलना में आपूर्ति की भूमिका; और
vii) संचार साधन के रूप में मौद्रिक नीति रिपोर्ट: पाठ्य विश्लेषण से साक्ष्य। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

X. जारी आंकड़े

दिसंबर 2023 के दौरान रिज़र्व बैंक द्वारा जारी महत्वपूर्ण आंकड़े इस प्रकार हैं:

क्र.सं.	आंकड़े
1	पूर्वानुमान सर्वेक्षणों के परिणाम
2	बैंकिंग सेवाओं में अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर सर्वेक्षण, 2022-23
3	2023-24 की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) के दौरान भारत के भुगतान संतुलन की गतिविधियां
4	अप्रैल-सितंबर 2023 के दौरान भारत के विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों में परिवर्तन के स्रोत
5	भारत की अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति (आईआईपी), सितंबर 2023

योगेश दयाल द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई - 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित। मोनेटरी एंड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रीव्यू https://mcir.rbi.org.in पर उपलब्ध है।